भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2708
9 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

**विषय : किसानों द्वारा आत्महत्या**

**2708. श्री प्रसून बनर्जीः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने किसानों ने आत्महत्या की है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में किसानों के संकट/आत्महत्या को टालने/रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क):** गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्या के बारे में सूचना संकलित और प्रसारित करता है। आत्महत्या पर 2015 तक की ये रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2016 और उसके बाद की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। वर्ष 2014 और 2015 के लिए प्रकाशित एडीएसआई रिपोर्टों के अनुसार देश में किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्या की राज्यवार कुल संख्या **अनुबंध-I** पर है।

**(ख):** कृषि क्षेत्र में आत्महत्या पर वर्ष 2015 की एडीएसआई रिपोर्ट की 2क अध्याय के अनुसार, किसानों की आत्महत्या के प्रमुख कारण दिवालियापन या ऋणग्रस्तता, खेती से संबंधित मुद्दे, पारिवारिक समस्याएं और बीमारी आदि हैं।

**(ग):** कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें भावी योजनाएं तैयार करती हैं और कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। भारत सरकार भी विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। सरकार पहले की उत्पादन केंद्रित नीति के विपरीत आय-केंद्रित दृष्टिकोण पर फोकस करते हुए कृषि क्षेत्र को अनुकूल बना रही है। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाकर, खेती लागत को कम करके और उत्पाद पर लाभकारी मूल्य दिलाकर किसानों के लिए उच्च अधिक लाभ दिलाना है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों की सूची **अनुबंध-II** में है।

**अनुबंध-I**

**अता.प्र.सं. 2708**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 160 | 516 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 7 |
| 3 | असम | 21 | 84 |
| 4 | बिहार | 0 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 443 | 854 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 45 | 57 |
| 8 | हरियाणा | 14 | 28 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 32 | 0 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 12 | 0 |
| 11 | झारखंड | 0 | 0 |
| 12 | कर्नाटक | 321 | 1197 |
| 13 | केरल | 107 | 3 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 826 | 581 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2568 | 3030 |
| 16 | मणिपुर | 0 | 1 |
| 17 | मेघालय | 0 | 2 |
| 18 | मिजोरम | 0 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 0 | 0 |
| 20 | ओडिशा | 5 | 23 |
| 21 | पंजाब | 24 | 100 |
| 22 | राजस्थान | 0 | 3 |
| 23 | सिक्किम | 35 | 15 |
| 24 | तमिलनाडु | 68 | 2 |
| 25 | तेलंगाना | 898 | 1358 |
| 26 | त्रिपुरा | 0 | 1 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 63 | 145 |
| 28 | उत्तराखंड | 0 | 0 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 8 | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| 32 | दादर एवं नगर हवेली | 0 | 0 |
| 33 | दमन एवं दीव | 0 | 0 |
| 34 | दिल्ली (सं.शा.प्र.) | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| 36 | पुडुचेरी | 0 | 0 |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **5650** | **8007** |

स्रोत: संगत वर्षों के लिए 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' पर रिपोर्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

**अनुबंध-II**

**अता.प्र.सं. 2708**

सरकार की कार्यनीति खेती को व्यवहार्य बनाते हुए किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अधिकतर स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों और स्कीमों के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण से संबंधित प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों का ईष्टतम उपयोग किया जा सके।

ii. "प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग, आदान लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

iv. राज्य सरकारों के माध्यम से प्रगतिशील मंडी सुधार प्रारंभ करना, जिसके लिए मॉडल ''कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (एपीएलएम) अधिनियम, 2017'' का मसौदा तैयार किया गया था।

v. मॉडल संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम, 2018 को लागू करके राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना,

vi. ग्रामीण हाटों का उन्नयन करना ताकि एकत्रीकरण केंद्र के रूप में कार्य करते हुए किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद कर सकें।

vii. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

viii. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा योजना (किसानों द्वारा किए गए कम प्रीमियम योगदान के साथ) नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है। यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

ix. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। गैर-वन्य सरकारी भूमि के साथ-साथ निजी भूमि पर मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और विपणन पर बल देते हुए बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है।

x. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

xi. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)' का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

xii. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को प्रागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

xiii. गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xiv. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xv. मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, इनलैंड और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

xvi. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xvii. सरकार ने कृषि क्षेत्र की और ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xviii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनसंरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान ऋण कार्ड रखने वाले छोटे किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xix. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xx. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को 2000 रुपये की चार-मासिक तीन किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है।

xxi. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000 रूपए की निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च, 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

*****